

दि० 09.10.2014 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्री एस०एस० शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की तेरहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष-कार्यकारी समिति।
2. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति।
3. श्री ए०के० दत्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्रित
4. श्री डी०बी०एस० खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति।
5. श्री एस.टी.एस. लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति/अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं सदस्य-कार्यकारी समिति।
6. श्री एम.एस. बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य-कार्यकारी समिति।
7. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति (Executive Committee) की तेरहवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 13.1

दिनांक 26.07.2014 को सम्पन्न हुई बारहवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन

सभी सदस्यों द्वारा गत बारहवीं बैठक की कार्यकारी समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2014-15 के लक्ष्यों के अनुरूप सभी जोन, वृत्त तथा प्रभाग कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त जोनल अधिकारी,
क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड)



कार्यसूची कार्यकारी समिति 13.2:

कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2014-15 के सापेक्ष प्रगति का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-15 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना रु. 12054 लाख के सापेक्ष रु. 6501.09 लाख की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष कुल वित्तीय प्रगति रु. 2234.45 लाख है जो कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष 18.54% है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अभी तक राज्य कैम्पा को अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात ही अगली किश्त अवमुक्त की जाएगी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य कैम्पा को रु. 354.66 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है एवं जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा रु. 226.78 करोड़ यानि मात्र 64 प्रतिशत की धनराशि व्यय की गई है जो 70 प्रतिशत से कम है।

समिति द्वारा क्रियान्वयन की धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2014-15 का समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभागों के स्तर पर कार्यों को गति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तरों से समयबद्ध अनुश्रवण किया जाय।

(कार्यवाही-प्रमुख वन संरक्षक-वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक-वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक-परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक-गढ़वाल व कुमांऊ तथ समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 13.3: APO 2014-15 के संशोधन का अनुमोदन

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्ययोजना रु. 12054.00 लाख की तैयार की गई थी जिसे संचालन समिति द्वारा दिनांक 27.03.2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2014 को समीक्षा बैठक में व्यापक जल संरक्षण एवं चारा विकास कार्यक्रम चलाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जोन स्तरों से विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-




क्र. सं.	घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमाऊं जोन	वन्यजीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत	अन्य स्तर	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NPV								
i	वन/वन्यजीव रक्षक चौकी	143.99	93.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.99
ii	रेजों हेतु वाहन (60 वाहन व 60 मोटरसाइकिल)	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	360.00	0.00	408.00
iii	राजाजी पार्क हेतु	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
iv	मूल्यांकन व अनुश्रवण	25.75	17.00	10.75	0.00	0.75	0.00	50.95	105.20
v	कन्टीन्जेंसी	0.52	0.00	91.00	0.00	52.60	250.00	0.00	394.12
vi	ऑपरेशनल व्यय	24.25	18.00	22.00	0.00	12.50	0.00	0.00	76.75
vii	वन पंचायतों का सुदृढिकरण	440.49	398.55	0.00	480.29	0.00	0.00	0.00	1319.33
	जोन स्तर से प्रभागों को नियोजन हेतु	1998.94	1235.68	612.93	0.00	734.93	0.00	0.00	4582.48
	योग NPV	2633.94	1762.23	1252.68	480.29	848.78	610.00	50.95	7638.87
2	क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	859.47	502.41	23.42	0.00	4.25	0.00	0.00	1389.55
	योग (CA)	859.47	502.41	23.42	0.00	4.25	0.00	0.00	1389.55
3	संरक्षित क्षेत्र								
i	अस्कोट	0.00	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96
ii	गंगोत्री	0.00	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81
iii	बिन्सर	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	योग (PA)	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77
4	OTHERS								
i	वृक्षारोपण	916.53	126.58	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.71
ii	रिवर ट्रेनिंग	190.00	1296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.59
	मक डिस्पोजल	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	योग (OTHERS)	1106.53	1423.17	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2648.30
5	CAT PLAN								
i	तपोवन-विष्णुगाढ़	606.46	0.00	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	677.51
ii	लाता तपोवन	0.00	0.00	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68
iii	सिंगोली भटवाड़ी	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.69
iv	फाटा-ब्युंग	51.27	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	138.71
v	श्रीनगर HEP	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.27
vi	व्यासी HEP	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
vii	लखवाड़ HEP	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
viii	विष्णुगाढ़-पीपलकोटी	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
ix	भ्युडार गंगा HEP	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
x	CAT PMU	9.00	0.00	4.25	0.00	40.00	0.00	0.00	53.25
	योग CAT Plan	1266.69	0.00	410.82	0.00	40.00	0.00	0.00	1717.51
	कुल योग	5866.63	3687.81	1911.29	480.29	893.03	610.00	50.95	13500.00

समिति द्वारा उपरोक्त का अवलोकन कर वर्ष 2014-15 की निम्न संशोधनों के साथ कुल रु. 13500.00 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. राजाजी राष्ट्रीय पार्क हेतु कुल वार्षिक कार्ययोजना रु. 442.00 लाख।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव हेतु रु. 47.00 लाख।
3. सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में Zoo के नियोजन हेतु रु. 13.00 लाख।

(कार्यवाही-प्रमुख वन संरक्षक-वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक-वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक-परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक-गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 13.4: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2013-14 के कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की अद्यावधिक स्थिति:-

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के कार्यों का समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों का आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है एवं आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट्स के बिन्दुओं का परीक्षण करने के पश्चात क्रियान्वयन अभिकरणों को आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति अनुपालन/आख्या प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट्स के बिन्दुओं का परीक्षण कर क्रियान्वयन अभिकरणों को समयबद्ध अनुपालन/आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाही- समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभागीय अधिकारी वन प्रभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 13.5:

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2013-14 की बैलेन्स शीट एवं आयकर विवरणी तैयार किए जाने के सम्बन्ध में:-

समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से चयनित CAG Empanelled CA Firms के द्वारा वर्ष 2013-14 की उत्तराखण्ड कैम्पा की बैलेन्स शीट संकलित (compile) की जा चुकी है। CA Firm K.W. Jain & Co. द्वारा वर्ष 2013-14 का

आयकर अधिनियम की धारा-12A के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर आयकर विवरणी आयकर विभाग में दाखिल कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतर्गत आयकर विवरणी दाखिल किये जाने हेतु रु. 75.50 करोड़ की धनराशि का संचय (Accumulation) अगले वित्तीय वर्षों में Compensatory Afforestation, Forest Resource Management, Preservation of Natural Forests, Management of Wildlife, Infrastructure Development in the sector and Allied Works हेतु दिनांक 27.09.2014 को अध्यक्ष-कार्यकारी समिति द्वारा Resolution का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुए एवं बैलेन्स शीट तथा उपरोक्त Resolution का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :

(1) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव को सदस्य-कार्यकारी समिति नामित करने के सम्बन्ध में :-

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना सं०-1922/X-2-2012-7(6)/2004 टी०सी० दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। पूर्व में प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का पद एक ही था। वर्तमान में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का पद पृथक हो गया है।

वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण समिति द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्थान पर सर्वसम्मति से प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव को उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति का सदस्य नामित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा Overall Work Plan के Mid-term Review के सम्बन्ध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा Mid-term Review के मुख्य बिन्दु जैसे- कार्य शुरू करने से पूर्व नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा Data (CA sites, Muck disposal, River Training कार्य का विवरण एवं उपलब्ध धनराशि इत्यादि का विवरण) कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, तत्पश्चात ही Mid-term Review की कार्यवाही की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निस्सावली, 2008 के अनुसार नामांकन द्वारा परामर्शी सेवा प्राप्त कर ली जाय चूंकि इस कार्य

को पूर्ण किये जाने हेतु कम समय उपलब्ध है अतः नामांकन द्वारा परामर्शियों की अल्प अवधि के लिए सेवायें प्राप्त किये जाने का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही-अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा)

(3) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष नोडल कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से करने हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिस पर समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि नोडल अधिकारी कार्यालय कैम्पा कार्यालय का ही विस्तृत अंग है, अतः नोडल अधिकारी कार्यालय के संचालन व्यय (operational expenses) रू0 24.00 लाख को कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज निधि से नोडल अधिकारी कार्यालय की भवन मरम्मत/कार्यालय रख-रखाव हेतु one time expenditure के रूप में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही-अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा)

(4) उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बारहवीं बैठक (दिनांक 26.07.2014) की कार्यसूची 12.10.1 एवं कार्यसूची 12.10.2 में लिए गये निर्णय के आधार पर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं कार्यालय एवं कैम्पा कार्यालय हेतु निर्धारित 02 वाहनों को कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से क्रय करने हेतु समिति द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।


(कार्यवाही-अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।



(ज्योत्सना सितलिंग)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा



प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड शासन

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com,

Website : www.ukcampa.org



उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

पत्रांक- ५०७ /13-3(13)/2014-15

दिनांक, देहरादून, २० अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(ज्योत्सना सितलिंग)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- ५०७ (1)/13-3(13)/2014-15 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ज्योत्सना सितलिंग)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।